

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डा०मधु खरे
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 56-तीन/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक
18-11-2013 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक 26/2013-14 अपील

1. श्रीलाल पुत्र श्री किशनी कोरी
2. श्रीमती आशा पत्नी श्रीलाल कोरी
निवासी ग्राम मारोरा तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी म०प्र०

---आवेदकगण

विरुद्ध

म०प्र०शासन

---अनावेदक

(श्री आर०एस०सेंगर अभिभाषक - आवेदकगण)

(श्री बी०एन०त्यागी अभिभाषक - अनावेदक)


: आदेश पारित :

(दिनांक 02 दिसम्बर 2015)

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म०प्र० भू राजस्व संहिता
1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा
50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक
18-11-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह है कि
आवेदकगण ने पाटनपुर तहसील स्थित भूमि सर्वे क्र० 10/2'ध'
रकबा 1.00 है० को विक्रय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन


61



कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 23-3-2013 के द्वारा आवेदकगण का विक्रय की अनुमति संबंधी आवेदनपत्र निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त ने आदेश दिनांक 18-11-13 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के भेजा कि वह विधिवत जांच उपरांत गुण-दोषों के आधार पर मामले का निराकरण करें। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदकगण ने अपनी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 10/2'घ' रकवा 1.00 है0 को विक्रय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन अपर कलेक्टर को प्रस्तुत किया था परन्तु अपर कलेक्टर ने बिना जांच अथवा कार्यवाही के प्रथम पेशी में ही आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण की भूमि बंजर एवं असिंचित है जिसमें लागत लगाने के बाद भी फसल का लाभ नहीं मिलता है इसलिए भूमि को विक्रय कर उसके बदले अन्य कृषि योग्य भूमि को कय करने हेतु विक्रय की अनुमति चाही गई थी तथा अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अपर कलेक्टर ने आवेदकगण का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की। तर्क में यह भी कहा कि अपर कलेक्टर के अवैधानिक आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त ने अपने आदेश में अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया परन्तु, भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों में संशोधन के बाद भी अपील में आदेश पारित कर प्रकरण को अपर कलेक्टर को जांच हेतु प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। जबकि आयुक्त को संहिता के प्रावधानुसार स्वयं जांच कर आदेश पारित करना चाहिए था। अतः


①



निगरानी स्वीकार की जाय।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदकगण ने अपनी स्वत्व की संपूर्ण भूमि को विक्रय करने की अनुमति संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था, जिससे वह भूमिहीन हो जाता। इसी कारण अपर कलेक्टर ने आवेदकगण का आवेदन निरस्त किया था। आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर चूँकि प्रकरण में विधिवत् जांच नहीं हुई थी इसलिये आयुक्त ने अपर कलेक्टर को जांच उपरांत गुणदोषों के आधार पर मामले का निराकरण के आदेश दिये है जो उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 (7)(ख) के अंतर्गत अपनी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय हेतु अपर कलेक्टर को आवेदन दिया था जिसे अपर कलेक्टर ने निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त को की गई। आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया कि आवेदन पत्र पर तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्यवाही करना चाहिये थी। प्रकरण अपर कलेक्टर को विधिवत् जांच उपरांत गुणदोषों के आधार पर निराकरण हेतु वापिस किया। प्रार्थी अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि अपील में प्रकरण का अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तन नहीं करना चाहिये, अपितु स्वयं गुणदोषों के आधार पर अंतिम रूप से निराकरण करना चाहिये था। अतः आयुक्त का आदेश दिनांक 18-11-13 निरस्त किया जाता है तथा अपील प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि स्वतः विधिवत उभय पक्षों को सुनकर गुणदोषों के आधार पर कार्यवाही करें।



(डॉ० मधु खरे)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर